



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03122024-259123  
CG-DL-E-03122024-259123

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4796]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 2, 2024/अग्रहायण 11, 1946

No. 4796]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 2, 2024/AGRAHAYANA 11, 1946

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 2024

**का.आ. 5188(अ).**—सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21वां) की धारा 79क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद् द्वारा न्यायिक विज्ञान विभाग, 30ए, कामराजर सलाई, मैयलापुर, चेन्नई - 600004, तमिलनाडु को भारत में निम्नलिखित कार्यक्षेत्र के साथ इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के परीक्षक के तौर पर अधिसूचित करती है, अर्थात:

- (क) कम्प्यूटर (मीडिया) न्यायिक विज्ञान - फ्लॉपी डिस्क ड्राइव को छोड़कर; और  
(ख) मोबाइल उपकरण न्यायिक विज्ञान

[फा. सं. 2(2)/2023-साइबर सुरक्षा]

अभिषेक सिंह, अपर सचिव

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th November, 2024

**S.O. 5188(E).**—In exercise of the powers conferred by section 79A of the information Technology Act, 2000 (21 of 2000) the Central Government hereby notifies **Forensics Science Department, 30A, Kamarajar Salai, Maylapre Chennai - 600004, Tamil Nadu** as Examiner of Electronic Evidence within India, with the following scope, namely: -

- (a) Computer (Media) Forensics excluding Floppy Disk Drive;  
(b) Mobile Devices Forensics.

[F. No. 2(2)/2023- Cyber Security]

ABHISHEK SINGH, Addl. Secy.